भारत सरकार
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग
अधिशासी अभियंता/उप-निदेशक (उद्यान) के लिए विभागीय परीक्षा
लेखा-III

निर्देशः-सभी प्रश्न हल करें। प्रत्येक प्रश्न के सामने अंक दर्शाए गए हैं।

अधिकतम अंक-100 **समय:3 घंटे**

1. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्य तथा प्रकार्य के वर्गीकरण की परिभाषा दीजिए। (10 अंक)
2. आपातकालीन कार्य और आवश्यक कार्य की परिभाषा दीजिए। (5 अंक)
3. तकनीकी स्वीकृति क्या है? तथा तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने के लिए अपनाए जाने वाले विस्तृत्व उपाय क्या हैं? (10 अंक)
4. **व्याख्या करेः**

i. जीएफआर 2017 का नियम 136

ii. जीएफआर 2017 का नियम 149 (जीइएम) (2 × 5 अंक)

5. सी.पी.डब्ल्यू.डी. कार्य अनुदेश पुस्तिका के अनुसार हरित मानदंड क्या है (10 अंक)
6. **व्याख्या करेः**

i. ई.पी. संविदा।

ii. मेन्टेनेन्स/छोटे कार्य के लिए वार्षिक दर संविदा पद्धति।

iii. विशेष मदों/कार्यों के समवर्ती (concorrent) सूची।

iv. टेंडर के प्रकाशन के लिए समय सीमा।

v. सी.पी.डब्ल्यू.डी. कार्य के लिए जी.सी.सी का खंड-14। (3 × 5 अंक)

7. **विचलन (deviation) का स्वीकृति की व्याख्या करें।**

i. परियोजना तथा मूल कार्य हेतु

ii. मेन्टेनेन्स कार्य हेतु। (5 × 2 अंक)

8. लक्ष्य (Mile Stone) का पुनः निर्धारण क्या है?
लक्ष्य के पुनः निर्धारण की प्रक्रिया की. व्याख्या करें। (10 अंक)

9. **व्याख्या करें**

i. विवाद निवारण समिति।

ii. माध्यस्थम एवार्ड अलग करना।

(2 × 5 अंक)

10. **विविध अधिकारियों के वित्तीय अधिकार बतायें।**

i. निर्माण पर निष्फल खर्चों को बट्टे खाते डालना।

ii. संविदा शर्तों को संशोधित करने की शक्ति।

iii. मोबिलाइजेशन एडवांस स्वीकृत करना।

iv. विभागीय प्रभारों का पूर्ण दरों से कम दर पर नए ग्राहकों के लिए डिपोजिट कार्यों को लेना।

v. खुली निविदाओं के प्रति एकल बिड/निविदा स्वीकार करना।

(2 × 5 अंक)